

उत्तराखण्ड को AYUSH के लिये एक प्रमुख गंतव्य बनाने की कार्य योजना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को प्रदेश को [आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सन्धि एवं होम्योपैथी \(AYUSH\)](#) तथा वेलनेस के क्षेत्र में प्रमुख गंतव्य बनाने के लिये प्रभावी कार्ययोजना के साथ कार्य करने के निर्देश दिये।

मुख्य बिंदु:

- एक आधिकारिक वज्रपत्र के अनुसार, उत्तराखण्ड में राज्य में जड़ी बूटियों के उत्पादन को और बढ़ावा देने के लिये आयुष विभाग उद्यान तथा वन नगिम से समन्वय कर संग्रह एवं विपणन की उचित व्यवस्था की जाएगी।
 - मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड को विश्व का सर्वश्रेष्ठ योग गंतव्य बनाने हेतु नई योग नीति लाने के भी निर्देश दिये और पंचकर्म को बढ़ावा देने के लिये विशेष प्रयासों पर जोर दिया।
 - आयुष के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिये हर्बल उत्पादों के विपणन के लिये उचित मंच की व्यवस्था की जाएगी।
 - स्कूली विद्यार्थियों को आयुष से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के लिये सभी स्कूलों में इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा आयुष नीति के प्रभावी कार्यान्वयन में तेजी लाने के भी निर्देश दिये गए हैं।
 - आयुष में बेहतर कार्य हेतु वेलनेस केंद्र, आयुष सेवाओं के प्रामाणीकरण तथा चिकित्सकों एवं फार्मसिस्टों को प्रसिद्धि आयुष विशेषज्ञों से प्रशिक्षण की व्यवस्था से आयुष चिकित्सा को जनता से जोड़ने में सहायता मिलेगी।
- आयुष नीति में उच्च गुणवत्ता वाली आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियों के उत्पादन को बढ़ावा देना, अच्छी कृषि पद्धतियों (GAP) के अंतरराष्ट्रीय मानकों का अनिवार्य पालन, नवीनतम ड्रोन-आधारित तकनीक का उपयोग, सार्वजनिक-नजी भागीदारी (PPP) मोड पर कोल्ड स्टोरेज की स्थापना और औषधीय पौधों के विक्रेताओं का विनियमन शामिल है।
- नीति में उच्च गुणवत्ता युक्त आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के उत्पादन को प्रोत्साहन किये जाने, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस (GAP) के अंतरराष्ट्रीय मानक का पालन किये जाने की अनिवार्यता, ड्रोन आधारित नवीनतम तकनीक का प्रयोग, पीपीपी मोड पर कोल्ड स्टोरेज की स्थापना, औषधीय पादपों के विक्रेताओं (कृषकों, स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं) के स्पष्ट दिशा-निर्देश शामिल किये गए हैं।
 - राज्य में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की स्थापना, औषधीय पादपों के लिये 'एश्वोर्ड बाय-बैक' योजना, राज्य में अग्रणी नरिमाताओं एवं प्रतिष्ठित विपणन एजेंसी के सहयोग से उत्तराखण्ड में उगाए जाने वाले प्रमुख औषधीय पादपों की ब्रांडिंग के लिये एक ऑनलाइन मंच स्थापित किया जाएगा।
 - सभी आयुष विनिर्माण इकाइयों के लिये 10 प्रतिशत तक अतिरिक्त पूंजीगत सहायता, आयुष उत्पादों की गुणवत्ता मूल्यांकन के लिये राज्य के 2-3 महत्त्वपूर्ण स्थानों पर सामान्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना को प्रोत्साहन, आयुष उत्पादों हेतु आयुष प्रीमियम मार्क/आयुष स्टैंडर्ड मार्क प्राप्त किया जाना अनिवार्य किया गया है।
- राज्य पर्यटन नीति, 2023 के माध्यम से वेलनेस रसोर्ट, आयुर्वेद / योग/ नेचुरोपैथी रसोर्ट को 50 प्रतिशत तक की पूंजीगत सहायता तथा श्रेणी बी और श्रेणी सी क्षेत्रों में स्थापित होने वाले वेलनेस केंद्र, आयुर्वेद / योग/ नेचुरोपैथी रसोर्ट को 5 प्रतिशत की अतिरिक्त पूंजीगत सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।
- आयुष शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये आयुष कॉलेजों को [राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद \(NAAC\)](#) से निर्धारित मानकों को पूर्ण करने वाले आयुष कॉलेजों को 15 लाख तक की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि प्रदान किये जाने का प्रावधान किया गया है।